अध्याय सारांश

प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहण 2001-02 में 69,198 करोड़ रूपये से 19.73 प्रतिशत की वृद्धि की औसत वार्षिक दर पर बढ़कर 2005-06 में 1,65,216 करोड़ रूपये हो गए। स घ उ की प्रतिशतता के रूप मे समग्र प्रत्यक्ष कर संग्रहण 2001-02 में 3.03 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 4.68 प्रतिशत हो गए। औसत कर उत्प्लावकता 2004-05 मे 1.85 की तुलना में थोड़ी सी कम होकर 2005-06 में 1.76 रह गयी।

(पैरा 2.5 एवं 2.5.3)

निगमित निर्धारितियों के मामले में सकल संग्रहणों का 74.98 प्रतिशत निर्धारण पूर्व अवस्था पर किया गया जिसमें से 53.37 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में था। गैर-निगमित निर्धारितियों के मामले में सकल संग्रहण का 90.64 प्रतिशत निर्धारण पूर्व अवस्था पर किया गया जिसमें से 51.89 प्रतिशत टी डी एस के रूप में था।

(पैरा 2.6.1)

2001-02 से 2005-06 के दौरान प्रत्यक्ष करों के लिए निर्धारितियों की कुल संख्या 3.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर 2.62 करोड़ से बढ़कर 2.98 करोड़ हो गयी जो 2000-01 से 2004-05 के दौरान वृद्धि दर के 4.28 प्रतिशत से कम थी। गैर निगमित निर्धारिती 2001-02 में 2.59 करोड़ से बढ़कर 2005-06 में 2.94 करोड़ हो गए अर्थात् 3.24 प्रतिशत की वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर और निगमित निर्धारिती 3.01 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर 2001-02 में 3.49 लाख से बढ़कर 2005-06 में 3.93 लाख हो गए।

(पैरा 2.7 और 2.7.2)

संग्रहण की लागत जैसी कि विभाग द्वारा निकाली गयी निगम कर के लिए संग्रहण का प्रति रूपया 0.15 पैसा और आयकर के लिए संग्रहण का प्रति रूपया 1.70 पैसा थी। यह निगम कर और आयकर के लिए प्रतिनिर्धारिती क्रमशः 3,740 रूपए और 325 रूपए थी।

(पैरा 2.15)

2005-06 के दौरान संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों की संख्या 2004-05 में 2.46 लाख की तुलना में कम होकर 2.03 लाख थी। संक्षिप्त रीति में पूरे किए गए निर्धारणों की प्रतिशतता में कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप कुल लम्बन 2004-05 में 22.57 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 31.18 प्रतिशत हो गया।

(पैरा 2.9.1)

2,60,603 करोड़ रूपये की कुल मांग में से 95,387 करोड़ रूपये की असंगृहीत राशि में पूर्ववर्ती वर्षों की 58,385 करोड़ रूपये की मांग और 37,002 करोड़ रूपए की चालू मांग शामिल थी जो 31 मार्च 2006 को बकाया थी।

(पैरा 2.10.1)

प्रमाणित मांग की वसूली 2004-05 के दौरान 16 प्रतिशत से कम होकर 2005-06 के दौरान लगभग 14 प्रतिशत रह गयी है। तथापि, टी आर ओ की कार्यकारी क्षमता भी उसी अवधि के दौरान 356 से कम होकर 329 रह गयी।

(पैरा 2.11.2)

अध्याय II : कर प्रशासन

प्रत्यक्ष करों का प्रशासन

2.1 आयकर, निगमकर और धनकर प्रत्यक्ष करों के मुख्य घटक बनते हैं। आयकर प्रत्येक व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय पर प्रभार्य होता है। शब्द 'व्यक्ति' में एक व्यष्टि, एक हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच यू एफ), एक कम्पनी, एक फर्म, व्यक्तियों का एक संघ, (ए.ओ.पी), व्यष्टियों का एक निकाय (बी ओ आई), एक स्थानीय प्राधिकारी और एक नकली न्यायिक व्यक्ति शामिल है। कम्पनियों द्वारा प्रदत्त आयकर को निगमकर के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

धनकर कतिपय निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों पर निर्दिष्ट दरों पर प्रत्येक व्यष्टि, हि अ कु और कम्पनी की सुसंगत मूल्यांकन की तारीख को निवल धन पर प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है। निर्धारण वर्ष 1993-94 से 15 लाख रूपये से कम निवल धन के सम्बन्ध में कोई धनकर देय नहीं है।

राजस्व विभाग की व्यापक कार्यात्मक रूपरेखा

2.2 प्रत्यक्ष करों के प्रशासन की समग्र जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होती है जो लगभग 59,000 की स्टाफ क्षमता वाले आयकर विभाग और अपनी शीर्ष संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) के माध्यम से कार्य करता है।

2.2.1 चार्ट 1 आयकर विभाग का संगठनात्मक ढांचा दर्शाया गया है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं और देश भर में उसके अनेक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं। ये कार्यालय 116 आयकर महानिदेशकों और आयकर मुख्यायुक्त के अधीन कार्य करते हैं जो अपने सम्बन्धित प्रभारों में आयकर आयुक्तों/निदेशकों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। आयकर के मुख्य आयुक्त पूरे देश में विभिन्न अवस्थितियों पर तैनात होते हैं। वे अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रशासन के प्रभारी होते हैं। साथ ही देश के भिन्न भागों में तैनात आयकर के महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को नियंत्रित करने और लेखाबद्ध न किए गए धन का पता लगाने के लिए अपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में जांच मशीनरी के समग्र प्रभारी होते हैं। आयकर के मुख्य आयुक्तों/आयकर के महानिदेशकों की सहायता उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारों में आयकर के आयुक्तों/आयकर के निदेशकों द्वारा की जाती है। पहली अपीलीय मशीनरी भी हैं जिसमें आयकर के आयुक्त (अपील) शामिल होते हैं जो निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध अपीलों के निपटान का कार्य करते हैं।

2.2.2 इस अध्याय में नीचे दी गयी तालिकाएं और आंकड़े बोर्ड और सम्बद्ध कार्यालयों से संगृहीत किए गए हैं जैसे आयकर निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यकीय, प्रकाशन एवं जन सम्पर्क) (आर एस पी एंड पी आर), प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक और निपटान आयोग।

अधिकारियों की संस्वीकृत तथा कार्यकारी क्षमता

2.3 नीचे तालिका 2.1 विभाग में 31 मार्च 2006 को अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या दर्शायी गई :-

तालिका 2.1 : अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या *

पद	संस्वीकृत संख्या
1	**2**
मु आ क आ	116
आ क आ	698
अतिरिक्त आ क आ	469
सयुंक्त आ क आ	647
उप आ क आ/ स आ क आ	1,934
आ क अ	4,204
जोड़	**8,068**

2.3.1 उन अधिकारियों की कार्यकारी संख्या नीचे तालिका 2.2 में दी गयी है जिन्हें निर्धारण/गैर निर्धारण कार्य सौंपा गया है।

तालिका 2.2 : निर्धारण और गैर-निर्धारण कार्य पर अधिकारियों की कार्यकारी संख्या*

पद का नाम	2003-04			2004-05			2005-06♦		
	निर्धारण कार्य	गैर - निर्धारण कार्य	जोड़	निर्धारण कार्य	गैर - निर्धारण कार्य	जोड़	निर्धारण कार्य	गैर - निर्धारण कार्य	जोड़
1	2			3			4		
अतिरिक्त आ क आ/ अतिरिक्त नि आ क/ सं आ क आ/ सं नि आ क/ उप नि आ क/उप आ क आ/सहा नि आ क/सहा आ क आ	1,519	1,173	2,692	1,519	1,173	2,692	1,173	532	1705
आ क आ	2,917	1,200	4,117	2,917	1,200	4,117	2,628	887	3515
जोड़ (कुल क्षमता के प्रति ऽ शतता)	**4,436** (65.1)	**2,373** (34.9)	**6,809**	**4,436** (65.1)	**2,373** (34.9)	**6,809**	**3,801** (72.8)	**1,419** (27.2)	**5,220**

* स्रोतःआयकर निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यकीय, प्रकाशन और जन सम्पर्क)

♦ विभाग की उन क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना के आधार पर जिन्होंने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तक में विवरण सूचित किए हैं।

2.3.2 आयकर निदेशालय (आर एस पी एंड पी आर) द्वारा प्रस्तुत की गयी पूरी सूचना के अभाव में 2005-06 के दौरान निर्धारण और गैर निर्धारण कार्य पर अधिकारियों की कार्यकारी क्षमता की स्थिति की पूर्ववर्ती वर्षों में स्थिति के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियां

2.4 राजकोषीय निशानेबाज़ी को दर्शाने वाली प्रमुख प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहणों की एक तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 2.3 में दर्शायी गयी है:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 2.3 : बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति•

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रहण	अधिशेष(+)/ कमी (-)	अधिशेष /कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
0020 - निगम कर				
2003-04	51,499.00	63,562.03	(+)12,063.03	(+) 23.43
2004-05	88,436.00	82,679.58	(-) 5,756.42	(-) 6.51
2005-06	1,10,573.00	1,01,277.16	(-) 9,295.84	(-) 8.41
0021 - निगम कर से इतर आय पर कर				
2003-04	44,070.00	41,386.51	(-) 2,683.49	(-) 6.09
2004-05	50,929.00	49,268.12	(-) 1,660.88	(-) 3.26
2005-06	66,239.00	55,984.62	(-)10,254.38	(-) 15.48
0032 - धन कर				
2003-04	145.00	135.83	(-) 9.17	(-) 6.33
2004-05	145.00	145.36	(+) 0.36	(+) 0.25
2005-06	265.00	250.35	(-) 14.65	(-) 5.53

2.4.1 2005-06 के दौरान वास्तविक संग्रहण निगम कर और निगम कर से इतर आय पर कर दोनों के मामले में बजट अनुमानों से क्रमशः 8.41 प्रतिशत और 15.48 प्रतिशत तक कम रहे हैं। निगम कर और निगम कर से इतर आय पर कर दोनों के सम्बन्ध में ख्वास्तविक- संग्रहण और बजट अनुमानों के बीच अन्तर में 2004-05 की तुलना में 2005-06 में वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण-हाल की प्रवृत्तियां

2.5 प्रत्यक्ष कर के संग्रहण, जैसाकि नीचे चार्ट 2 में दर्शाया गया है, 19.73 प्रतिशत की वृद्धि की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर 2001-02 में 69,198 करोड़ रूपये से बढ़कर

• लघुशीर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं

2005-06 मे 1,65,216 करोड़ रूपये हो गए। वृद्धि की दर 2001-02 में 1.31 प्रतिशत से बढ़कर, 2003-04/2004-05 में 26 प्रतिशत से अधिक हो गयी और 2005-06 में इसमें 24.44 प्रतिशत तक सीमान्त रूप तक कमी आई।

चार्ट 2 : 2001-02 से 2005-06 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण

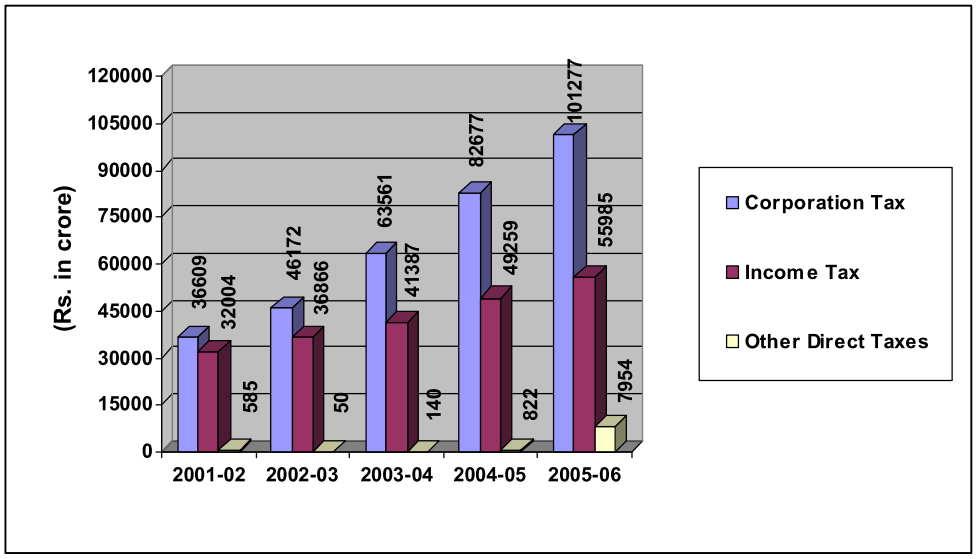

2.5.1 नीचे चार्ट 3 में भिन्न राज्यों द्वारा संगृहीत प्रत्यक्ष कर संग्रहणों का प्रतिशतता भाग दर्शाया गया है। महाराष्ट्र का सबसे अधिक कर संग्रहण रहा जिसके बाद दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य थे।

चार्ट 3 : राज्यों के राजस्व संग्रहण का प्रतिशतता शेयर

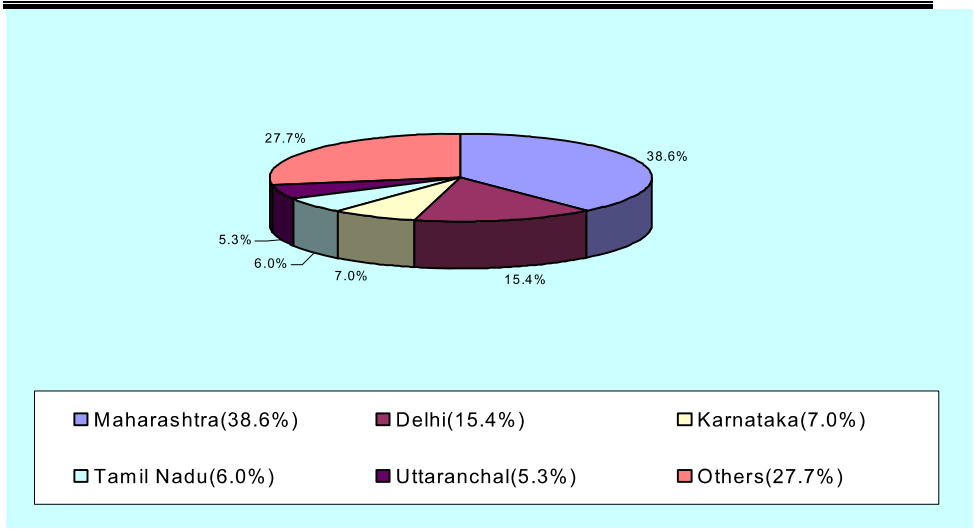

प्रत्यक्ष कर संग्रहणों के विस्तृत प्राचनल

2.5.2 समग्र प्रत्यक्ष कर संग्रहण, वृद्धि की वार्षिक दरें, स घ उ के प्रति प्रत्यक्ष करों का अनुपात और उनकी उत्प्लावकता तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 2.4 : प्रत्यक्ष कर संग्रहणों के व्यापक प्राचल•

	2001-02	2002-03	2003-04	2005-06	2006-07	औसत
निगमकर	36,609	46,172	63,562	82,680	1,01,277	66,060
आयकर	32,004	36,866	41,387	49,268	55,985	43,102
अन्य प्रत्यक्ष कर	585	50	140	823	7,954	1,910
कुल प्रत्यक्ष कर	69,198	83,088	1,05,089	1,32,771	1,65,216	1,11,072
स घ उ	22,81,305	24,49,736	27,60,224	31,21,414	35,31,451	28,28,826
वृद्धि की दर (प्रतिशत)						
निगम कर	2.56	26.12	37.66	30.08	22.49	23.78
आयकर	0.76	15.19	12.26	19.04	13.63	12.18
कुल प्रत्यक्ष कर	1.31	20.07	26.48	26.34	24.44	19.73
स घ उ	9.18	7.38	12.67	13.09	13.14	11.09
कर संग्रहण - स घ उ का अनुपात (प्रतिशत)						
निगमकर	1.60	1.88	2.30	2.65	2.87	2.26
आयकर	1.40	1.50	1.50	1.58	1.59	1.51
कुल प्रत्यक्ष कर	3.03	3.39	3.81	4.25	4.68	3.83
कर उत्प्लावकता♦♦						
निगमकर	0.28	3.54	2.97	2.30	1.71	2.16
आयकर	0.08	2.06	0.97	1.46	1.04	1.12
कुल प्रत्यक्ष कर	0.14	2.72	2.09	2.01	1.86	1.76

स घ उ अनुपात

2.5.3 स घ उ की प्रतिशतता के रूप में समग्र प्रत्यक्ष कर संग्रहण 2001-02 में 3.03 प्रतिशत से वृद्धि होकर 2005-06 में 4.68 प्रतिशत हो गए। यह वृद्धि निगम और आयकर दोनों के लिए पाई गई। औसत कर उत्प्लावकता 2004-05 में 1.85 की तुलना में कम होकर 2005-06 में 1.76 रह गई है।

पश्च-निर्धारण पूर्व-निर्धारण कर संग्रहण

2.6 वार्षिक वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य होता है। अधिनियम में स्रोत पर कर, अग्रिम कर की कटौती और स्वतः निर्धारण पर कर के भुगतान के रूप में पूर्व-निर्धारण संग्रहण का प्रावधान है। पश्च-निर्धारण संग्रहण-निर्धारण के बाद उत्पन्न

• निगमकर और आयकर के अखिल भारतीय संग्रहण के आंकड़े परिशिष्ट -3 में दिए गए हैं और शीर्षवार/राज्य/सं रा क्षे वार ब्यौरा परिशिष्ट-4 में दिया गया है।

@ स्रोतः कर संग्रहण के आंकड़े - प्रिंसिपल सी सी ए सी बी डी टी, नई दिल्ली,
स घ उ - सी एस ओ, दिनांक 31 मई 2006 की प्रैस विज्ञप्ति और
आर्थिक सर्वेक्षण 2005-06

♦♦ कर उत्प्लावकता स घ उ में प्रतिशतता परिवर्तन के प्रति कर राजस्व में प्रतिशतता परिवर्तन के अनुपात द्वारा आंकी जाती है।

अतिरिक्त मांग होती है। नीचे तालिका 2.5 में पिछले तीन वर्षों में पूर्व और पश्च निर्धारण स्तर पर संगृहीत समग्र कर और प्रतिदायों की प्रतिशतता के ब्यौरे दिए गए हैः

(करोड़ रूपये में)

तालिका 2.5: पूर्व-निर्धारण और पश्च-निर्धारण अवस्थाओं पर कम्पनियों और गैर कम्पानियों के लिए कर संग्रहण के ब्यौरे

वर्ष	स्रोत पर काटा गया कर	अग्रिम कर	स्वतः निर्धारण	नियमित निर्धारण	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण	प्रतिदाय	निवल संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निगमित निर्धारिती								
2003-04	11,934 (14.52)	49,004 (59.60)	5,184 (6.30)	13,477 (16.38)	2,632 (3.20)	82,231	18,669 (22.71)	63,562
2004-05	14,654 (13.93)	73,934 (70.29)	4,815 (4.58)	2,888 (2.74)	8,898 (8.46)	1,05,189	22,509 (21.40)	82,680
2005-06	21,429 (17.17)	66,625 (53.37)	5,549 (4.44)	18,624 (14.92)	12,610 (10.10)	1,24,837	23,560 (18.87)	1,01,277
गैर-निगमित निर्धारिती								
2003-04	31,021 (64.03)	9,709 (20.04)	4,668 (9.63)	2,538 (5.24)	518 (1.06)	48,454	7,067 (14.59)	41,387
2004-05	29,319 (53.04)	16,100 (29.14)	5,229 (9.46)	3,118 (5.64)	1,507 (2.72)	55,273	6,005 (10.86)	49,268
2005-06	32,409 (51.89)	18,127 (29.03)	6,069 (9.72)	3,488 (5.58)	2,364 (3.78)	62,457	6,472 (10.36)	55,985

कोष्ठकों में आंकड़े कुल संग्रहण की प्रतिशतता को दर्शाते हैं

2.6.1 निगमित निर्धारितियों के मामले में सकल संग्रहणों का 74.98 प्रतिशत पूर्व निर्धारण अवस्था पर किया गया जिसमें से 53.37 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में था। अग्रिम कर संग्रहण में 2004-05 मे कुल संग्रहण के 70.29 प्रतिशत से कमी होकर 2005-06 में 53.37 प्रतिशत रह गया। गैर-निगमित निर्धारितियों के मामले में सकल संग्रहण का 90.64 प्रतिशत पूर्व निर्धारण अवस्था पर किया गया जिसमें से 51.89 प्रतिशत टी डी एस के रूप में था।

2.6.2 निगमित निर्धारितियों और गैर निगमित निर्धारितियों के सम्बन्ध में प्रतिदायों की प्रतिशतता में 2004-05 में क्रमशः 21.40 और 10.86 से कमी होकर 2005-06 क्रमशः 18.87 और 10.36 रह गयी।

तालिका 2.6 : स्रोत पर कर की कटौती के श्रेणी वार विवरण

श्रेणी	काटे गए कर की राशि (करोड़ रूपये में)			काटे गए कुल कर के प्रति प्रतिशत		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
वेतन	17,712	17,341	17,941	41.23	39.44	33.32
प्रतिभूतियों पर ब्याज	2,214	1,849	1,871	5.15	4.20	3.48
लाभांश	950	852	752	2.22	1.94	1.40
ब्याज	4,930	7,833	10,585	11.47	17.81	19.65
लाटरी अथवा शब्द पहेली से इनाम	169	318	233	0.40	0.72	0.44
छुड़दौड से इनाम	7	11	17	0.02	0.03	0.03
ठेकेदारों और उपठेकेदारों को भुगतान	7,543	2,535	9,638	17.56	5.76	17.90
बीमा कमीशन	434	523	967	1.01	1.19	1.80
अनिवासियों और अन्यों को भुगतान	8,996	12,711	11,834	20.94	28.91	21.98
जोड़	**42,955**	**43,973**	**53,838**	**100**	**100**	**100**

2.6.3 कुल टी डी एस के प्रति वेतन से अंशदान 2003-04 में लगभग 41 प्रतिशत से कम होकर 33 प्रतिशत से अधिक के चालू स्तर तक हो गया। टी डी एस के प्रति अंशदान करने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत ब्याज, ठेकेदारों, उपठेकेदारों और अनिवासियों को भुगतान थे। इन चार स्रोतों ने इक्टठे मिलकर कुल टी डी एस संग्रहणों के लगभग 93 प्रतिशत का योगदान किया जैसाकि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

2.6.4 अधिनियम के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित समय के अन्दर और निर्धारित प्रपत्र में आयकर प्राधिकारी को एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। विफलता की स्थिति में प्रत्येक दिन, जिसके दौरान चूक जारी रहती है, के लिए एक सौ रूपए की राशि के बराबर शास्ति देय होती है।

2.6.5 2005-06 में कर के कटौती कर्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली 4.60 लाख विवरणियों में से मात्र 2.81 लाख विवणियां दाखिल की गयीं और 1.79 लाख विवरणियां दाखिल नहीं की गयीं। विवरणियां दाखिल न करने वालों की प्रतिशतता 2004-05 में 42.81 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 38.91 प्रतिशत रह गयी है।

निर्धारिती की प्रोफाइल

2.7 2000-01 से 2005-06 के दौरान प्रत्यक्ष करों के लिए निर्धारितियों की कुल संख्या 3.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 2.62 करोड़ से बढ़कर 2.98 करोड़ हो गयी जो 2004-05 के दौरान वृद्धि दर के 4.28 प्रतिशत से कम थी। गैर निगमित निर्धारिती कुल निर्धारितियों का 98.68 प्रतिशत बनते थे जबकि 1.32 प्रतिशत निगमित निर्धारिती थे। गैर-निगमित निर्धारिती 2001-02 में 2.59 करोड़ से बढ़कर 2005-06 में

2.94 करोड़ हो गए अर्थात् 3.24 प्रतिशत की वृद्धि की चक्रवद्धि वार्षिक दर पर। वृद्धि के क्षेणीवार विवरण नीचे तालिका 2.7 में दर्शाए गए है :

गैर निगमित निर्धारिती

तालिका 2.7 : पिछले 5 वर्षों के दौरान गैर निगमित निर्धारितियों की श्रेणीवार वृद्धि

आय का स्तर	2001-02	2005-06	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर	कुल निर्धारितियों में वर्तमान हिस्सा	
				2001-02	2005-06
	(संख्या लाख में)			(प्रतिशतता)	
क*	243.50	258.98	1.55	94.09	88.10
ख♦ (निम्न)	11.17	20.74	16.73	4.32	7.06
ख♥ (उच्च)	2.98	6.48	21.43	1.15	2.20
ग♠	0.79	5.62	63.32	0.31	1.91
घ•	0.33	2.13	59.39	0.13	0.73
जोड़	**258.77**	**293.95**	**3.24**	**100**	**100**

2.7.1 गैर निगमित निर्धारितियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में 2000-05 के दौरान की तुलना में 2001-06 के दौरान आय के श्रेणी क और श्रेणी ख (निम्न) स्तर में कमी हुई जबकि आय के श्रेणी ख (उच्च), ग और घ स्तरों में उसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। ख (निम्न), ख (उच्च), ग और घ श्रेणियों से सम्बन्धित कुल निर्धारितियों के हिस्से में वृद्धि हुई जबकि क श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारितियों के हिस्से में 2001-06 की अवधि के दौरान कमी आई।

निगमित निर्धारिती

2.7.2 निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.01 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर 2001-02 में 3.49 लाख से बढ़कर 2005-06 में 3.93 लाख हो गयी। निगमित निर्धारितियों के श्रेणीवार विवरण नीचे तालिका 2.8 में दर्शाए गए हैं :

---

* श्रेणी 'क' गैर निगमित निर्धारिती - 2 लाख रूपए से कम आय/ हानि के साथ निर्धारण

♦ श्रेणी 'ख' गैर निगमित निर्धारिती (निम्न आय वर्ग) -2 लाख रूपए और अधिक परन्तु 5 लाख रूपए से कम की आय/हानि के साथ निर्धारण

♥ श्रेणी 'ख' गैर निगमित निर्धारिती (उच्च आय वर्ग)-5 लाख रूपए और अधिक परन्तु 10 लाख रूपए से कम की आय हानि/आय के साथ निर्धारण

♠ श्रेणी 'ग' गैर निगमित निर्धारिती - 10 लाख रूपए और अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण

• श्रेणी "घ" गैर निगमित निर्धारिती - तलाशी और अभिग्रहण निर्धारण

तालिका 2.8 :निगमित निर्धारितियों की रूपरेखा

आय का स्तर	2001-02	2005-06	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर	कुल निर्धारितियों में हिस्सा 2001-02/2005-06	
	(संख्या लाख में)			(प्रतिशतता)	
1	2	3	4	5	
क♣	1.91	1.99	1.03	54.73	50.64
ख♦ (निम्न)	0.63	0.78	5.48	18.05	19.85
ख♠ (उच्च)	0.59	0.46	(-) 6.03	16.91	11.70
ग•	0.34	0.68	18.92	9.74	17.30
घ•	0.02	0.02	0.00	0.57	0.51
जोड़	**3.49**	**3.93**	**3.01**	**100**	**100**

2.7.3 निगमित निर्धारितियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में श्रेणी क, ख (निम्न) और ख (उच्च) में 2000-05 के दौरान की तुलना में 2001-2006 के दौरान कमी हुई जबकि आय के श्रेणी ग स्तर में उसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। 2001-02 की तुलना में 2005-06 के दौरान आय के स्तर की ख (निम्न) और ग श्रेणियों से संबंधित निर्धारितियों के हिस्से में वृद्धि हुई और क,ख (उच्च) और घ श्रेणियों से सम्बन्धित के हिस्से में कमी आई।

2.7.4 कम्पनी मामले विभाग (डी सी ए) के अनुसार 30 नवम्बर 2005 को कार्य में शेयरों द्वारा लिमिटेड कम्पनियों की संख्या 7,12,435 थी जिसमें सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में 6,33,089 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां और 79,346 सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियां शामिल थीं।

इसलिए 3.19 लाख कम्पनियां ऐसी थीं जो 2005-06 के दौरान कम्पनी पंजीयक के पास पंजीकृत थीं परन्तु आयकर विभाग के अभिलेखों में नहीं थीं। यह संख्या 2004-05 में 2.81 लाख थी। लेखापरीक्षा डी सी ए के पास पंजीकृत कम्पनियों की संख्या और आयकर विभाग के अभिलेखों में कम्पनियों की संख्या के बीच अन्तर के कारणों की पहचान नहीं कर सकी।

♣ श्रेणी 'क' निगमित निर्धारिती - 50,000 रूपए से कम की आय/हानि के साथ निर्धारण

♦ श्रेणी 'ख' निगमित निर्धारिती (निम्न आय वर्ग)-50,000 रूपए और अधिक परन्तु 5 लाख रूपये से कम की आय/हानि के साथ निर्धारण

♠ श्रेणी 'ख' निगमित निर्धारिती (उच्च आय वर्ग)- 5 लाख रूपये और अधिक परन्तु 10 लाख रूपये से कम की आय/हानि के साथ निर्धारण

♠ श्रेणी 'ग' निगमित निर्धारिती - 10 लाख रूपए और अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण

• श्रेणी 'घ' निगमित निर्धारिती -तलाशी और अभिग्रहण निर्धारण

2.7.5 2004-05 की तुलना में वर्ष के दौरान प्रतिनिगमित/गैर निगमित निर्धारिती औसत कर संग्रहण में वृद्धि रही है। नीचे तालिका 2.9 में विवरण दिए गए हैं;-

तालिका 2.9 : निगमित और गैर निगमित निर्धारितियों से संगृहीत औसत कर

कर का स्वरूप	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
निर्धारितियों की संख्या (संख्या लाख में)					
निगम कर	3.49	3.65	3.72	3.80	3.93
आयकर	258.77	281.00	288.30	267.95	293.95
प्रति निर्धारिती संगृहीत औसत कर (हजार रूपए में)					
निगम कर	1,048	1,265	1,709	2,176	2577
आयकर	12	13	14	18	19

पान आवेदन

2.8 अधिनियम में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वह निर्दिष्ट संव्यवहारों से सम्बन्धित दस्तावेजों में अपनी स्थायी लेखा संख्या (पान) उद्धृत करे। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उन व्यक्तियों को शीघ्र पान आबंटित किए जाएं जो इसके लिए आवेदन करें।

2.8.1 पान की सेवाओं में दक्षता को बढ़ाने के विचार से आयकर विभाग ने 1 जुलाई 2003 से यू टी आई इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड (टू टी आई आई एस एल) को पान के आवंटन के लिए प्रक्रिया के एक भाग में आउटसोर्स किया। तालिका 2.10 में आउटसोर्सिंग की अवधि के लिए पान के आबंटन से सम्बन्धित बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए सांख्यकीय आंकड़े दर्शाए गए हैं। वर्ष के अन्त में अन्तशेष बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में अगले वर्ष के अथ शेष के साथ मेल नहीं खाते।

तालिका 2.10 :यू टी आई आई एस एल/एन एस डी एल द्वारा 1.7.2003 से 31.3.2006 तक पान का आवंटन

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए आवेदन*	वर्ष के दौरान आबंटित पान	वर्ष के अंत में लम्बित पान आवेदन (3-4)
1	2	3	4	5
2003-04 (1.7.03 से 31.3.04 तक)	0	40,02,352	35,08,956	4,93,396
2004-05	5,92,253	55.01,215	57,67,733	3,25,735
2005-06	(-)42,505	62,94,680	58,98,470	3,53,705

* इन आंकड़ों में परिवर्तन के लिए अनुरोध शामिल है

निर्धारणों की स्थिति

2.9 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारणों और पुनः निर्धारणों के पूरा करने के लिए समय सीमा उस निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष है जिसमें आय पहले निर्धार्य थी अथवा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष है जिसमें सुसंगत निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित एक विवरणी अथवा संशोधित विवरणी धारा 139(4) और 139(5) के अन्तर्गत दाखिल की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आय और निगम कर के निर्धारणों की स्थिति नीचे तालिका 2.11 और 2.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.11 :पिछले 5 वर्षों के दौरान संवीक्षा के लिए चुने गए मामले

वित्तीय वर्ष	संवीक्षा मामलों का अथ शेष	वर्ष के दौरान संवीक्षा के लिए चुने गए मामले	निपटान के लिए कुल मामले
1	2	3	4
2001-02	1,34,411	83,129	2,17,540
2002-03	49,530	8,44,885	8,94,415
2003-04	1,97,811	1,90,464	3,88,275
2004-05	1,93,017	2,46,241	4,39,258
2005-06	2,21,739	2,03,486	4,25,225

तालिका 2.12 :निगम कर निर्धारणों सहित आयकर की स्थिति•

वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए देय निर्धारण			पूरे किए गए निर्धारण (प्रतिशतता)			लम्बित निर्धारण (प्रतिशतता)		
	संवीक्षा	संक्षिप्त	जोड़	संवीक्षा	संक्षिप्त	जोड़	संवीक्षा	संक्षिप्त	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001-02	2,17,540	3,65,08,234	3,67,25,774	1,68,010 (77.23)	1,99,58,558 (54.67)	2,01,26,568 (54.80)	49,530 (22.77)	1,65,49,676 (45.33)	1,65,99,206 (45.20)
2002-03	8,94,415	3,69,00,040	3,77,94,455	1,72,410 (19.28)	3,37,92,795 (91.58)	3,39,65,205 (89.87)	7,22,005** (80.72)	31,07,245 (8.42)	38,29,250 (10.13)
2003-04	3,88,275	2,69,78,376	2,73,66,651	1,97,390 (50.83	2,13,80,490 (79.25)	2,15,77,880 (78.84)	1,90,885 (49.17)	55,97,886 (20.75)	57,88,771 (21.16)
2004-05	4,39,258	2,62,98,066	2,67,37,324	2,10,866 (48.00)	2.04,92,965 (77.93)	2,07,03,831 (77.43)	2,28,392 (52.00)	58,05,101 (22.07)	60,33,493 (22.57)
2005-06-	4,25,225	3,28,21,007	3,32,46,232	2,30,698 (54.25)	2,26,49,070 (69.00)	2,28,79,768 (68,82)	194,527 (45.75)	1,01,71,937 (31.00)	1,03,66,464 (31.18)

2.9.1 2005-06 के दौरान संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों की संख्या 2004-05 में 2.46 लाख की तुलना में कम होकर 2.03 लाख थी। संक्षिप्त रीति में पूरे किए गए निर्धारणों की प्रतिशतता में कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप कुल लम्बन 2004-05 में 22.57 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 31.18 प्रतिशत हो गया है।

बकाया मांग

2.10 अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब किसी आदेश के फलस्वरूप कोई कर, ब्याज शास्ति, जुर्माना अथवा कोई अन्य राशि देय हो तब एक मांग नोटिस निर्धारिती को भेजा जाएगा। नाटिस में प्रदत्त राशि 30 दिन के अंदर प्रदत्त की जानी होती है जब तक कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले भुगतान के लिए समय का

• *प्रास्थितिवार और श्रेणीवार ब्यौरे परिशिष्ट 5 में दिए गए हैं*

** *2002-03 में संवीक्षा के लिए लम्बित 7,22,005 मामलों में से 5,24,194 मामले 2003-04 में संक्षिप्त निर्धारण में परिवर्तित किए।*

विस्तार प्रदान न कर दे। अधिनियम में यह प्रावधान है कि निर्धारण आदेश के प्रति एक अपील बाधित की जाएगी जब तक कि अपील दाखिल करने से पहले विवरणी में दर्शायी गयी आय पर कर प्रदत्त न कर दिया जाए। अप्रदत्त रही राशि बकाया हो जाती है। नीचे तालिका 2.14 में 2001-02 से 2005-06 के दौरान संगृहीत और असंगृहीत रहे आयकर और निगम कर के विवरण दिए गए हैं। बकाया की वृद्धि दर 2004-05 के दौरान संग्रहणों की वृद्धि दर से कम थी जोकि चार्ट 4 में दर्शाया गया है।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 2.13 : संगृहीत तथा असंगृहीत रहा निगम कर सहित आयकर

वर्ष	संगृहीत कर			असंगृहीत रहा कर		
	नि क	आ क	जोड़	नि क	आ क	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	36,609	32,004	68,613	42,538	47,639	90,177
2002-03	46,172	36,866	83,038	35,057	32,581	67,638
2003-04	63,561	41,387	1,04,948	37,631	50,386	88,017
2004-05	82,677	49,259	1,31,936	39,204	83,977	1,23,181
2005-06	1,01,277	55,985	1,57,262	55,098	40,289	95,387

चार्ट 4 : संग्रहण मे वृद्धि और असंगृहीत रही राशि

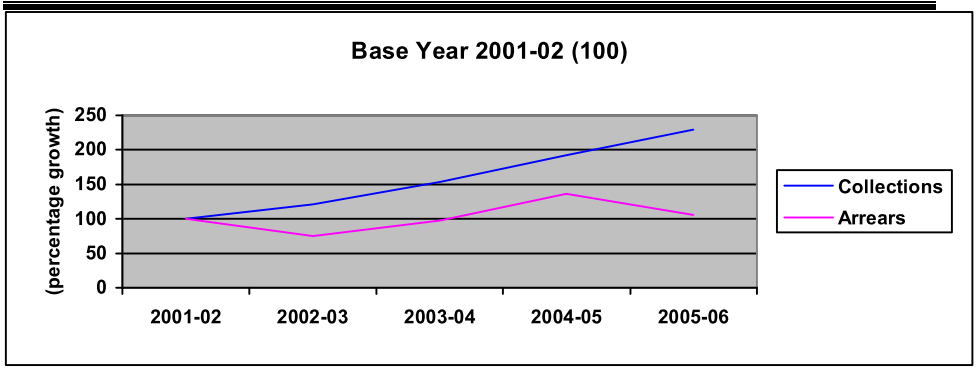

2.10.1 2,60,603 करोड़ रूपए की कुल मांग में से 95,387 करोड़ रूपये की असंगृहीत राशि में 31 मार्च 2006 को बकाया 58,385 करोड़ रूपए की पिछले वर्षों तथा 37,002 करोड़ रूपये की वर्तमान मांग शामिल थी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान निगम कर में बकाया मांग 39,204 करोड़ रूपये से बढ़कर 55,098 करोड़ रूपये हो गयी और आयकर में 83,977 करोड़ रूपये से घटकर 40,289 करोड़ रूपये रह गयी। रोकी गयी/आस्थगन में रखी गयी कुल असंगृहीत मांग 2004-05 में 39,037 करोड़ रूपये से बढ़कर 2005-06 में 40,776 करोड़ रूपये हो गयी।

चार्ट 5 : आस्थगन में रखी/रोकी गयी राशियां

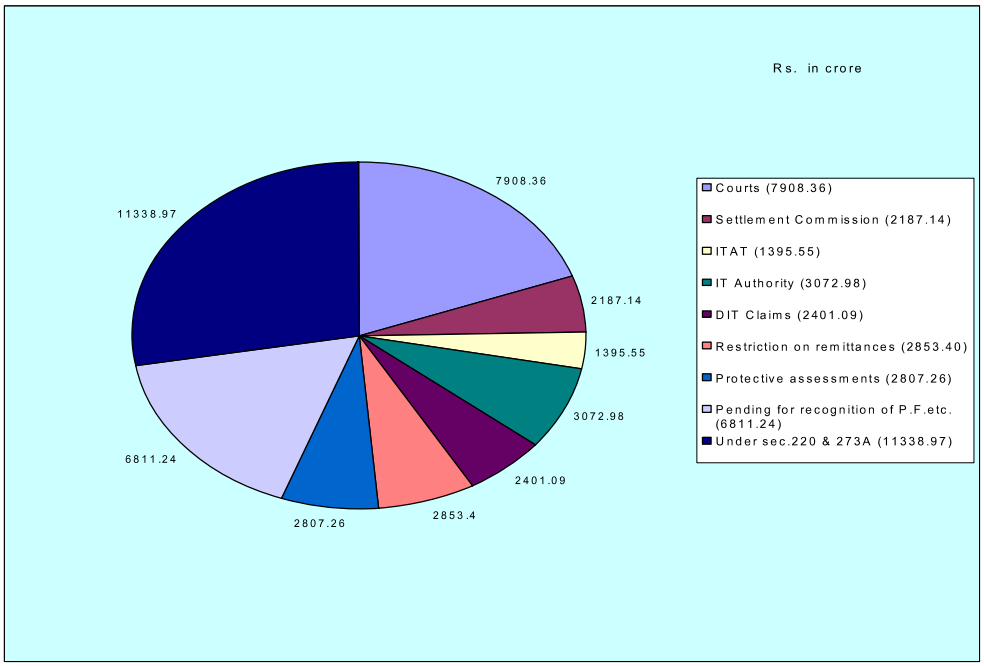

2.10.2 नीचे तालिका 2.14 में दिए गए बकाया के वर्ष वार विवरण दर्शाते हैं कि बकायों के 4.8 प्रतिशत पांच अथवा अधिक वर्षों की अवधि के लिए लम्बित थे।

तालिका 2.14 : पिछले वर्षों की बकाया मांग के वर्ष वार ब्यौरे (2004-05 तक)

		निगम कर	आयकर	ब्याज	अन्य	जोड़
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1 वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	11,440.62	17,337.61	14,598.78	6,294.51	49,671.52
2	2 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	2,124.68	1,437.17	1,922.92	414.27	5,899.04
3	5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम	937.87	452.88	513.91	274.44	2,179.10
4	10 वर्ष से अधिक	167.35	210.84	146.90	110.65	635.74
जोड़		**14,670.52**	**19,438.50**	**17,182.51**	**7,093.87**	**58,385.40**

2.10.3 31 मार्च 2006 को सकल बकाया के 82 प्रतिशत से अधिक और निवल बकाया के 92 प्रतिशत से अधिक में ऐसे मामले शामिल थे जहां प्रत्येक मामले में मांग 1 करोड़ रूपए और अधिक थी। प्रत्येक मामले में बकाया के उनके मूल्य के अनुसार विवरण नीचे तालिका 2.16 में दिये गए हैं;

(करोड़ रूपये में)

तालिका 2.15 : सकल बकाया और निवल• बकाया (2005-06 तक) के राशिवार विवरण

	कम्पनी मामले			गैर-कम्पनी मामले			जोड़		
	मामलों की संख्या	सकल बकाया	निवल बकाया	मामलों की संख्या	सकल बकाया	निवल बकाया	मामलों की संख्या	सकल बकाया	निवल बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए तक	1,22,117	4,040.04	553.19	35,13,183	2,811.95	731.76	36,35,300	6,851.99	1,284.95
प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए से अधिक परन्तु 10 लाख रूपए तक	23,163	2,936.84	389.15	1,09,066	1,410.79	399.88	1,32,229	4,347.63	789.03
प्रत्येक मामले में 10 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1 करोड़ रूपए तक	9,269	4,390.03	686.19	11,818	2,051.89	572.56	21,087	6,441.92	7,258.75
प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रूपये से अधिक	3,128	43,730.54	15,773.86	2,221	34,014.69	23,044.83	5,349	77,745.23	38,818.69
जोड़	**1,57,677**	**55,097.45**	**17,402.39**	**36,36,288**	**40,289.32**	**24,749.03**	**37,93,965**	**95,386.77**	**42,151.42**

कर वसूली मशीनरी

2.11 देय कर, ब्याज, शास्ति अथवा जुर्माने की हर एक माँग नोटिस तामील होने के तीस दिन के भीतर अदा की जानी चाहिए। इस संबंध में किसी निर्धारिती के व्यतिक्रम पर निर्धारण अधिकारी माँग की वसूली के लिए बकाया की माँग का उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र कर वसूली अधिकारी (टी आर ओ) को अग्रेषित कर सकता है। बाद वाला व्यतिक्रमी को पन्द्रह दिनों के भीतर अदा करने के लिए उसे नोटिस देगा, यदि नोटिस मे उल्लिखित राशि उसमें निर्दिष्ट समय माँग के भीतर अथवा बढ़ी हुई अवधि के भीतर अदा नहीं की जाती है तो टी आर ओ महीने के लिए चूककर्ता की चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा ; चूककर्ता की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा ; चूककर्ता को गिरफ्तार और उसे जेल में बंद करके ; चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्तियों के प्रबन्धन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति करके कर की मांग के भुगतान में चूक के लिए दायी ब्याज के साथ राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा।

2.11.1 विभाग के पुनर्गठन की योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक रेंज के लिए कर वसूली की प्रशासनिक मशीनरी को एक कर वसूली अधिकारी आवंटित करके सुदृढ़ किया गया है। कर वसूली अधिकारी को प्रमाणित कर मांग तथा वसूली की गयी राशि नीचे तालिका 2.16 में दर्शायी गयी है।

• निवल बकाया में सकल बकाया-देय न हुए बकाया, सत्यापन के लिए लम्बित प्रदत्त की गयी दावा की गयी राशियां, राशि जिसके लिए किस्तें दी गयीं और आस्थगित रखी गयी/रोकी गयी राशि

(करोड़ रूपये में)

तालिका 2.16 : कर वसूली अधिकारी को प्रमाणित कर मांग तथा वसूल की गयी मांग

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में प्रमाणित मांग	वर्ष के दौरान प्रमाणित मांग	कुल प्रमाणित मांग	वर्ष के दौरान वसूल की गयी प्रमाणित मांग	वर्ष के अंत में शेष
1	2	3	4	5	6
2003-04	16,009.26	5,320.28	21,329.54	4111.73 (19.28)	17,217.81
2004-05	17,217.81	14,217.55	31,435.36	5,078.01 (16.16)	26,357.35
2005-06	26,357.35	5,285.09	31,642.44	4,433.04 (14.01)	27,209.40•

2.11.2 प्रमाणित मांग की वसूली में 2004-05 के दौरान 16 प्रतिशत से कमी होकर 2005-06 के दौरान लगभग 14 प्रतिशत रह गयी। तथापि, टी आर ओ की कार्यकारी क्षमता भी उसी अवधि के दौरान 356 से घटकर 329 रह गयी।

शास्तियां

2.12 यदि निर्धारिती आय/धन की विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है अथवा गलत विवरणी दाखिल करता है अथवा लेखे तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, शास्ति दायी होती है। अपराध के लिए निर्धारिती मुकदमें का भी दायी है। कर काटने अथवा भुगतान करने में विफल रहने पर शास्ति लगती है। तालिका 2.17 यह दर्शाती है कि 7.35 लाख मामलों, जिसमे शास्ति कार्यवाहियां आरम्भ की गई थी, में से मात्र 0.78 लाख मामलों (10.67 प्रतिशत) को 2004-05 में 13.09 प्रतिशत की तुलना में वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। कुल लम्बन 2004-05 के अंत में 4.90 लाख मामलों से बढ़कर 2005-06 के अंत में 6.56 लाख मामले हो गया।

तालिका 2.17 आयकर के मामले जहां शास्तिक कार्रवाई आरंभ की गई, निपटाई गई और लम्बित थी

वर्ष	अथशेष	वृद्धि	जोड़	निपटान	अंतशेष
1	2	3	4	5	6
2003-04	1,50,270	2,55,247	4,05,517	74,332	3,31,185
2004-05	3,31,185	2,32,380	5,63,565	73,774	4,89,791
2005-06	4,89,791	2,44,774	7,34,565	78,383	6,56,182

2.12.1 वर्ष के दौरान निपटाये गये 78,383 शास्तिक मामलों में से, शास्ति 47 प्रतिशत अथवा 36,839 मामलों में लगाई गई थी। निपटान किए गए शास्तिक मामलों के 55

• वर्षवार, करवार और राशिवार ब्यौरा परिशिष्ट-6 में दिया गया है

प्रतिशत से अधिक आय के छिपाव से सम्बंधित था। नीचे तालिका 2.18 मे विवरण दिया गया है:-

तालिका 2.18 : 2005-06 के दौरान अपराधों का स्वरूप और लगायी गयी शास्तियाँ

अपराध का स्वरूप	निपटाए गए मामले	लगायी गयी शास्तियां	
		मामले	राशि (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4
छिपाव	43,795	22,530	3040.34
छिपाव से इतर	34,588	14,309	2005.73
जोड़	**78,383**	**36,839**	**5,046.07**

2.12.2 मामलों की संख्या, जहां शास्ति लगाई गई, 2004-05 में 32,170 से बढ़कर 2005-06 में 36,839 हो गयी परन्तु लगाई गई, शास्ति की राशि उसी अवधि के दौरान 7,073.53 करोड़ रूपये से कम होकर 5,046.07 करोड़ रूपये रह गयी।

तलाशी और अभिग्रहण मामले

2.13 तलाशी मामलों का निर्धारण अधिनियम के अध्याय ज्ख्ब्ज -बी द्वारा शासित होता है। ब्लाक निर्धारण के पूरा होने की समय सीमा, माह जिसमें अंतिम बार तलाशी के लिए अनुमोदन, निष्पादित किया गया था के अन्त से दो वर्ष है। तालिका 2.19 में प्रारम्भ किए गए अभियोजनों की स्थिति, प्राप्त हुए दोषसिद्ध मामलों, प्रशासित मामलों और दोषमुक्त मामलों की संक्षिप्त स्थिति को दर्शाया गया है:

तालिका 2.19 : शुरू किए गए अभियोजन, प्राप्त हुए दोष सिद्ध मामले, प्रशमित मामले और दोषमुक्त मामले

वर्ष	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या			मामलों का निपटान				लम्बित मामले
	अथ शेष	वर्धन	जोड़	दोषसिद्ध मामले	प्रशमित मामले	दोषमुक्त मामले	जोड़	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003-04	11,870	37	11,907	12	55	48	115	11,792
2004-05	11,792	103	11,895	1	262	87	350	11,545
2005-06	11,545	326	11,871	1	85	39	125	11,746

2.13.1 अभियोजन के लिए कुल मामलों के मात्र 1.05 प्रतिशत मामलों का 2005-06 के दौरान निपटान किया गया। जिसमें से लगभग 31 प्रतिशत परिणामतः दोषमुक्त सिद्ध हुए। निपटान किए गए 125 मामलों में से मात्र एक में दोष सिद्ध हुआ।

प्रतिदाय मामले और प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज

2.14 जहां भुगतान किए गए कर की राशि देयकर की राशि से अधिक होती है वहां निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार होता है। ऐसे प्रतिदाय की राशि पर साधारण ब्याज देय होता है। अपील अथवा अन्य कार्रवाईयों में पारित किसी आदेश के फलस्वरूप किसी राशि के प्रतिदाय निर्धारित दर पर साधारण ब्याज सहित, भी स्वीकार्य है।

तालिका 2.20 : प्रतिदाय के मामले जिसके लिए दावे किए गए

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	जोड़	निपटाए गए दावों की संख्या	बकाया शेष
1	2	3	4	5	6
2003-04	2,19,728	2,27,262	4,46,990	3,23,375	1,23,615
2004-05	1,23,615	2,80,862	4,04,477	3,03,747	1,00,730
2005-06	1,00,730	2,30,967	3,31,697	2,76,646	55,051

2.14.1 प्रतिदाय दावों के लम्बन के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में सरकार से राजस्व का बहिर्गमन होता है। 2005-06 में 25 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2006 के अन्त में प्रतिदाय दावों का लगभग सत्रह प्रतिशत बकाया रह गया। विवरण ऊपर तालिका 2.20 में दिये गये हैं।

तालिका 2.21 : अपीलीय आदेश और संशोधित आदेशों आदि के फलस्वरूप प्रतिदाय में परिणत मामले

वित्तीय वर्ष	अथशेष	वृद्धि	जोड़	निपटान	अन्तशेष
1	2	3	4	5	6
2003-04	36,835	54,677	91,512	64,422	27,090
2004-05	27,090	45,032	72,122	69,931	2,191
2005-06	2,191	29,178	31,369	29,296	2,073

2.14.2 अपील/संशोधन आदेश प्राप्त हो जाने के बाद 2,073 मामले अथवा कुल मामलों का सात प्रतिशत जहां पर निर्धारितियों को प्रतिदाय देय था, 2005-06 के अन्त में लम्बित रह गया। विवरण ऊपर तालिका 2.21 में दिये गये हैं।

(करोड़ रूपए में)

तालिका 2.22 : सरकार द्वारा प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज

धारा जिसके अधीन ब्याज अदा किया गया	2003-04		2004-05		2005-06	
	निधारणों की संख्या	राशि	निर्धारणों की संख्या	राशि	निर्धारणों की संख्या	राशि
1	4	5	6	7	8	9
214	1,277	0.13	9	49.74	3	0.13
243	4	0.02	3	0.12	1	0.02
244	6,302	2.57	29,684	157.73	38,710	15.52
244ए	44,48,218	4,698.44	45,59,980	3,658.39	39,59,413	4559.16
जोड़	**44,55,801**	**4,701.16**	**45,89,676**	**3,865.98**	**39,98,127**	**4574.83**

2.14.3 सरकार ने 1,87,294 करोड़ रूपये के सकल संग्रहण से 30,032 करोड़ रूपये का प्रतिदाय किया (तालिका 2.5) तथा 4,575 करोड़ रूपये की राशि के ब्याज का भुगतान किया (तालिका 2.23) जो प्रतिदाय राशि का 15 प्रतिशत बनता था। निर्धारणों की संख्या जिनपर ब्याज प्रदत्त किया गया, 2004-05 में 45.90 लाख से तेरह प्रतिशत तक कम होकर 2005-06 में 39.98 लाख हो गई। तथापि, विभाग द्वारा प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज की राशि 2004-05 में 3865.98 करोड़ रूपये से बढ़कर 2005-06 में 4,574.83 करोड़ रूपये हो गयी।

प्रतिदाय पर ब्याज का गलत लेखांकन

2.14.4 लेखापरीक्षा में 2004, 2005 और 2006 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पहले ही टिप्पणी की गयी कि सरकार प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज के लिए लेखांकन की गलत क्रियाविधि अपना रही थी। ब्याज भुगतान भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है और इसलिए एक उपयुक्त बजटीय तंत्र के माध्यम से देय है। तदनुसार मुख्य शीर्ष रू2020- आय और व्यय पर करों का संग्रहण- के अन्तर्गत लघु शीर्ष रूप्रतिदायों पर ब्याज- प्रचलित किया गया। तथापि रूप्रतिदाय पर ब्याज- के लिए 2005-06 के बजट अनुमानों में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया और 4,574.83 करोड़ रूपए की राशि के प्रतिदाय पर ब्याज को राजस्व में कमी के रूप में माना गया। प्रतिदाय पर ब्याज का राजस्व में कमी से रूप में लेखांकन मूलरूप में गलत है चूंकि ब्याज का संग्रहण कभी भी पहली बार में नहीं किया गया। अधिक कर के विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज का एक व्यय मद के रूप में बजट बनाया जाना चाहिए जो वास्तव में बजट अनुमान 2001-02 में किया गया। अधिक कर के विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज के प्रति बजट अनुमान 2001-02 में मुख्य शीर्ष "2020 आय और व्यय पर करों का संग्रहण" के अन्तर्गत "प्रत्यक्ष करों" की मांग में 92 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। तथापि, बाद में अधिक प्रतिदाय पर ब्याज को प्राप्ति घटाए के रूप में दर्शाने की पुरानी प्रथा संशोधित अनुमान अवस्था पर पहुंचा गया।

करों के संग्रहण की लागत

2.15 आय और निगम करों के संग्रहण की समग्र लागत 2001-02 में 993 करोड़ रूपए से बढ़कर 2004-05 में 1,218 करोड़ रूपए हो गयी और 2005-06 में कम होकर 1,101 करोड़ रूपये रह गयी। तथापि संगृहीत निगम कर की प्रति रूपया लागत 2001-02 में 0.31 पैसा से कम होकर 2005-06 में 0.15 पैसा रह गई। आयकर के लिए प्रति रूपया संग्रहण की लागत 2001-02 में 2.74 पैसा से कम होकर 2005-06 में 1.70 पैसा रह गयी। तथापि, प्रति निर्धारिती संग्रहण की लागत में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष के दौरान निगम कर के लिए सीमांत रूप से वृद्धि हुई और आय कर के लिए कमी हुई। संग्रहण की लागत की स्थिति, जैसी की विभाग द्वारा दर्शायी गयी, पर इस पृष्ठभूमि के प्रति विचार करने की आवश्यकता है कि गैर निगमित तथा निगमित निर्धारितियों से 2005-06 के दौरान सकल संग्रहणों के क्रमशः 91.01 प्रतिशत तथा 80.48 प्रतिशत की निर्धारण से पूर्व अवस्था पर उगाही की गयी थी अर्थात् अग्रिम कर, स्रोत पर काटा गया कर तथा स्वतः निर्धारण कर के रूप में निगम तथा आयकर के संग्रहण की लागत में वार्षिक उतार चढ़ावों को नीचे तालिका 2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23 : निगम और आयकर के संग्रहण की लागत

कर का स्वरूप	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
संग्रहण की लागत (करोड़ रूपए में)					
निगम कर	115	121	129	141	147
आयकर	878	927	979	1077	954
संगृहीत कर का प्रति रूपया संग्रहण की लागत (पैसा में)					
निगम कर	0.31	0.26	0.21	0.17	0.15
आयकर	2.74	2.51	2.37	2.19	1.70
प्रति निर्धारिती संग्रहण की लागत (रूपये में)					
निगम कर	3,293	3315	3468	3,710	3,740
आयकर	339	329	340	402	325

अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं और रिटें

2.16 यदि कोई निर्धारिती किसी निर्धारण, प्रतिदाय आदेश आदि से संतुष्ट नहीं होता तो वह आयुक्त (अपील) के पास अपील दायर कर सकता है तथा इसके पश्चात् आयकर अपीलीय अधिकरण (आई टी ए टी) उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक अपील कर सकता है। निर्धारिती संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

2.16.1 एक समय सीमा के अन्दर आ क आ (अ) के लिए एक वर्ष और आई टी ए टी के लिए चार वर्ष एक अपील का निपटारा करने के लिए 1 जून 1999 से आयकर अधिनियम में धारा 250 के खंड 6 ए तथा धारा 254 के खंड 2 ए को समाविष्ट किया गया है।

तालिका 2.24 : 31 मार्च 2006 को आयुक्तों (अपील) के पास अनिर्णीत अपीलें

	कुल अपीलें	उच्च माँग* की अपीलें 1-10 लाख रूपए	10-25 लाख रूपये की माँग वाली	25 लाख रूपये और अधिक की माँग वाली
निपटारार्थ अपीलें	1,34,919	46,337	7,509	9,870
निपटान की गई	70,794	25,394	4,073	5,359
अनिर्णीत	64,125	20,943	3,436	4,511

2.16.2 बोर्ड से अनुदेशों के अनुसार आ क आ (अपील) से प्रतिमाह निम्नतम 60 अपीलों का निपटान करने की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार 287 आ क आ (अपील) के पदो को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान लगभग 2.06 लाख अपीलों का निपटान किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त तालिका 2.24 दर्शाती है कि केवल 0.71 लाख अपीलें निपटाई गई थी जो कि अपेक्षित निपटान से कम है। 2005-06 के दौरान प्रति आ क आ (अपील) का औसत निपटान 247 अपीलें था।

तालिका 2.25 : 31 मार्च 2006 को सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/आयकर अपीलीय अधिकरण के पास लम्बित अपीलें

अवधि	सर्वोच्च न्यायालय के पास	उच्च न्यायालय के पास	आ क अ अ के पास
निपटारार्थ अपीलें, निर्देश और रिटें	3,158	23,587	49,337
निपटान की गई	136	1,657	9,252
अनिर्णीत	3,022	21,930	40,085

2.16.3 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा आई टी ए टी को मार्च 2006 तक भेजे गये मामलों में से क्रमशः 96 प्रतिशत, 93 प्रतिशत तथा 81 प्रतिशत मामले लम्बित रहे जैसा कि तालिका 2.25 में दर्शाया गया है।

निपटान आयोग द्वारा निपटाये गये मामले

2.17 कर निर्धारिती उससे संबंधित मामले के किसी चरण में मामला निपटान के लिए निपटान आयोग को आवेदन कर सकता है। निपटान आयोग को आवेदन करते समय निर्धारिती अपनी आय (जो निर्धारण अधिकारी के सामने प्रकट नहीं की गई है) और ऐसी आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि की पूर्णरूपेण और सही-सही घोषणा करेगा। निपटान आयोग आयुक्त से रिपोर्ट मंगाने के बाद आवेदन को स्वीकार/

* एक अपील जिसमें अन्तर्ग्रस्त कर एक लाख रूपए से अधिक परन्तु दस लाख रूपए से कम है

अस्वीकार कर सकता है। निपटान आयोग द्वारा निपटान के लिए 3,065 मामलों में से 301 मामले (9.82 प्रतिशत) निपटाये गये थे। आयकर और धनकर के सम्बन्ध मे निपटान की प्रतिशतता जैसे कि नीचे तालिका 2.26 में दर्शायी गयी है 2004-05 की तुलना में वर्ष के दौरान घट गई।

तालिका 2.26 : निपटान आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

वर्ष	अथ शेष	वृद्धि	निपटनार्थ कुल मामले	निपटाए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता	अनिर्णीत मामलों की संख्या
	2	3	4	5	6	7
आयकर						
2003-04	2,464	491	2,955	188	6.37	2,767
2004-05	2,767	427	3,194	372	11.65	2,822
2005-06	2,822	477	3,299	301	9.12	2,998
धनकर						
2003-04	66	शून्य	66	0	0.00	66
2004-05	66	शून्य	66	1	1.52	65
2005-06	65	2	67	0	0	67

तालिका 2.27 : निपटान आयोग के समक्ष स्वीकृति के लिए अनिर्णीत/अवरूद्ध मामले

मामलों का स्वरूप	31 मार्च 2005	31 मार्च 2006
निपटान आयोग के समक्ष स्वीकृति हेतु अनिर्णीत मामले	665	730
विभाग की टिप्पणियों के अभाव में निपटान आयोग के पास अवरूद्व मामले	302	374

2.17.1 आयकर तथा धनकर के लम्बित 3,065 मामलों में से 1,104 मामले (36 प्रतिशत) या तो निपटान आयोग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित थे अथवा विभाग से टिप्पणियों के अभाव में रोक दिये गये थे।

बट्टे खाते में डाली गयी राजस्व मांग

2.18 बकायों की कुल राशि जिसके लिए कर वसूली अधिकारियों को 2005-06 के दौरान वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे, 3,51,564 निर्धारितियों को शामिल करते हुये 27,209.40 करोड़ रूपये थी। इसमें से 2,49,464 निर्धारितियों को शामिल करते हुये 192.72 करोड़ रूपये ऐसे मामलों से सम्बन्धित थे जहां पर प्रत्येक मामले में मांग दस हजार रूपये तक थी। विभाग ने 46.48 करोड़ रूपये के संभव बट्टे खाते के लिए 1,63,971 निर्धारितियों के सम्बन्ध में बकाया पता लगाए थे और इसके बाद 48,555 निर्धारितियो के सम्बन्ध में 13.73 करोड़ रूपये बट्टे खाते डाले गए थे।

2.18.1 2005-06 के दौरान 128.22 करोड़ रूपए की कुल मांग बट्टे खाते डाली गयी जिसमें से 35.28 प्रतिशत ऐसे मामलों से सम्बन्धित थे जहां पर निर्धारिती अपने

पीछे कोई सम्पत्ति छोड़े बिना मर चुके थे अथवा दिवालिया हो चुके थे अथवा परिसमाप्त हो चुके थे अथवा कम्पनियां बन्द हो चुकी थीं तथा लगभग 22 प्रतिशत ऐसे निर्धारितियों से सम्बन्धित थे जो जीवित थे परन्तु जिनकी कुर्की योग्य परिसम्पत्तियां नहीं थीं। तालिका 2.28 में ब्यौरा दिया गया है।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 2.28 : 2005-06 के दौरान बट्टे खाते डाली गई राजस्व की माँगों के श्रेणीवार ब्यौरे

श्रेणी	कम्पनी मामले		गैर कम्पनी मामले		कुल मामले	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
(क)ऐसे निर्धारिती जो अपने पीछे कोई परिसम्पत्ति छोड़े बिना मर चुके हें/दिवालिया हो चुके हैं/परिसमाप्त हो चुके हैं अथवा मृत हैं।	24	44.36	1,490	0.80	1,514	45.16
(ख) अनुमार्गणीय न होने वाले निर्धारिती	30	1.45	17,865	22.01	17,895	23.46
(ग) भारत छोड़ चुके निर्धारिती	15	26.16	0	0.00	15	26.16
(घ) ऐसे निर्धारिती जो जीवित थे परन्तु जिनके पास माँग में कमी किए जाने और अन्य कारणों के फलस्वरूप कोई कुर्की योग्य परिसम्पत्ति नहीं थी/छोटी-छोटी राशियाँ थीं/बट्टे खाते डाल दी गई राशियां थीं।	577	14.75	32,311	13.66	32,888	28.41
(ङ)ऐसी राशि जो इक्विटी के आधार पर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य के दृष्टिगत बट्टे खाते डाल दी गई है अथवा जहाँ वसूली की कानूनी उपचार में अन्तर्ग्रस्तता समय, श्रम और खर्च खर्च वसूली के अनुपात में नहीं माने गये हैं।	0	0.70	3,529	4.33	3529	5.03
जोड़	**646**	**87.42**	**55,195**	**40.80**	**55,841**	**128.22**